

**कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर**

**वार्षिक योजना 2009-10 हेतु उपलब्ध योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी एवं  
31.08.09 तक के व्यय की प्रगति-आयोजना मद (राशि लाखों में)**

क्र. स.	स्कीम का विवरण - वर्ष 2009-10	B.E. 2009-10	व्यय 31.08.09 तक	विशेष विवरण
1.	<b>निर्देशन एवं प्रशासन</b>			
	(अ) निदेशक, प्रा.शि.कार्यालय का सुदृढीकरण - प्रारंभिक शिक्षा विभागान्तर्गत भामाशाहो को सम्मानित करने हेतु वर्ष 2009-10 हेतु राशि 3.00 लाख राज्य से बाहर की डिग्रीयों के सत्यापन हेतु 1.00लाख एवं संविदा सेवाओं हेतु 2.00 लाख तथा कार्यालय व्यय हेतु 2.00 लाख कुल 8.00 लाख का वर्ष 2009-10 हेतु प्रावधान है।	8.00	2.24	-
	(ब) किराये पर वाहन:- निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय बीकानेर एवं नव गठित कार्यालय उप निदेशक भरतपुर हेतु किराये पर वाहन हेतु राशि 3.00 लाख का वर्ष 2009-10 हेतु प्रावधान उपलब्ध है,	3.00	0.62	-
	(स) मण्डल कार्यालय भरतपुर :- नवीन खुले मण्डल कार्यालय भरतपुर के संवेतन हेतु 4.40 लाख का तथा कार्यालय व्यय हेतु नवीन मद अन्तर्गत 4.40 लाख कुल 8.80 लाख का प्रावधान वर्ष 209-10 हेतु उपलब्ध हैं।	8.80	0.56	-
	(द) जिला शिक्षा अधिकारी विधि कार्यालय जोधपुर हेतु टेलीफोन:- जिला शिक्षा अधिकारी विधि कार्यालय जोधपुर के निवास एवं कार्यालय के दो टेलीफोन हेतु राशि 0.20लाख का प्रावधान उपलब्ध है, जिसका टीएसपी प्लो 0.00 है।	0.20	0.04	-
2	<b>कक्षा 1 से 5 (प्रावि) :-</b> योजनान्तर्गत कक्षा 1-5 के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 241 अध्यापक के पदों हेतु राशि 100.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	100.00	0.00	-
3	<b>कक्षा 6 से 8 (उप्रावि) :-</b> योजनान्तर्गत स्वीकृत 798 द्वितीय श्रेणी तथा 1207 तृतीय श्रेणी अध्यापक कुल 2005 पदों के वेतन भत्तों हेतु राशि 800.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	800.00	379.36	-
4	<b>विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना:-</b> राज्य में प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों हेतु इस दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत विद्यालय समय में मृत्यु/ घायल होने की स्थिति में क्षतिपुति दी जाती है। योजना की प्रीमियम राशि निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रतिवर्ष जमा कराई जाती है। वर्ष 2009-10 के लिए प्रीमियम राशि 75.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है। चूंकि योजना से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढने वाले छात्र लाभन्वित होते है अतः जनजातियों की राज्य में आबादी के अनुपात में टीएसपी हेतु प्रवाह 9.45 लाख है।	75.00	0.00	-
5	<b>महिला पैराटीचर :-</b> राज्य की उप्रावि में कार्यरत 1839 महिला पैराटीचर के मानदेय हेतु 2009-10 हेतु राशि 500.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	500.00	222.91	-
6	<b>शारीरिक पैराटीचर :-</b> राजकीय उप्रावि में कार्यरत 132 शारीरिक पैराटीचर के मानदेय हेतु वर्ष 2009-10 हेतु राशि 20.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	20.00	11.47	-
7	<b>एजीशनल पैराटीचर्स इन पी.एस :-</b> सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत रागापा से प्रावि में परिवर्तित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त पैराटीचर्स को मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। कार्यरत 253 अतिरिक्त पैराटीचर के मानदेय हेतु वर्ष 2009-10 के लिए राशि 50.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	50.00	20.90	-
8	<b>निरीक्षण-(i) प्रवेशोत्सव -</b> जिला स्तर पर संचालित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हेतु 1.00लाख रुपये प्रति जिले के लिए कुल 33.00 लाख रुपये का प्रावधान उपलब्ध हैं।	33.00	2.94	-
	<b>(ii) जिशिअ सीकर कार्यालय का भवन निर्माण:-</b> मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ-67 (25) Sec.-II /08-09 /डी-93 /दिनांक 26.08.08 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर कार्यालय के भवन निर्माण के लिए आयोजना मद-4202 पूंजीगत व्यय में आवश्यकता बताई है जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:- पं.1(27) शिक्षा-1/प्रा.शि./2008/दिनांक 07.01.09 द्वारा वांछित राशि बजट निर्णायक समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश के क्रम में वर्ष 2009-10 में 17.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है,	17.00	0.00	-
	<b>(iii)नवीन जिशिअ कार्यालय प्रतापगढ के लिए पद एवं प्रावधान:-</b> बजट भाषण 2007-08 में नवस्थापित प्रतापगढ जिला खोलने की घोषणा के क्रम में नवीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ कार्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 मद स्वीकृत किये गये है। जिनके वेतनभत्तों हेतु वर्ष 2009-10 में 20.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है। इस पूरे प्रावधान को टीएसपी हेतु माना गया है।	20.00	0.00	-

	(iv) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन:- बजट घोषणा संख्या 44 वर्ष 2008-09 के अनुसार जिन राजकीय विद्यालय के छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 0.50 लाख प्रति चयनित विद्यार्थी की दर से पुरस्कृत किये जाने हेतु वर्ष 2009-10 के लिए 1.00 लाख का प्रावधान है,	1.00	0.00	-
	(v) बी.पी.एल. परिवारों के छात्रों के लिए छात्रावासों हेतु आवर्तक राशि प्रावधान:- वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा संख्या 32 की क्रियान्विति हेतु ब्लॉक स्तर पर कोलायत, जैसलमेर और सम पंचायत पर 100 विद्यार्थियों हेतु 3 छात्रावासों के संचालन के लिए बी.पी.एल परिवारों के छात्रों हेतु आवर्तक व्यय के लिए 20.00 लाख का प्रावधान वर्ष 2009-10 में उपलब्ध है।	20.00	0.00	-
	(vi) बीईईओ एवं अन्य कार्यालय हेतु टेलिफोन:- 237 बीईईओ, नवीन जिशिय प्रतापगढ़-2, जिशिय विधि जयपुर-1 उप निदेशक भरतपुर-2 और अतिरिक्त निदेशक प्रशासन बीकानेर-2 कुल 244 नवीन टेलीफोन लगवाने के लिए वर्ष 2009-10 में 1.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	1.00	0.00	-
9	मूक बधिर एवं अन्ध विद्यालयों हेतु अनुदान :-मूक बधिर तथा अन्ध विद्यालयों को शत प्रतिशत अनुदान हेतु 90 प्रतिशत राशि आयोजना भिन्न मद द्वारा दी जाती है शेष 10 प्रतिशत राशि आयोजना मद में वर्ष 2009-10 हेतु 25.00लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	25.00	0.00	-
10	डाईट टी ए:- डाईट्स में सभागियों के यात्रा व्यय भुगतान हेतु वर्ष 2009-10 में 28.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	28.00	0.00	-
	<b>योग (A)</b>	<b>1710.00</b>	<b>641.04</b>	<b>-</b>
11	सर्व शिक्षा अभियान का राज्यांश :-योजना का नॉडल कार्यालय राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है। योजना का 65 प्रतिशत केन्द्रांश व 35 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2009-10 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के 35 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि 57000.00लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	57000.00	19000.00	-
12	कम्प्यूटर एजुकेशन ऑन व्हीलस:- कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर व साजोसामान युक्त बसों के संचालन की सर्वशिक्षा अभियान की इस योजना का नॉडल कार्यालय राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर है। वर्ष 2009-10 हेतु योजना अन्तर्गत 550.00 लाख का प्रावधान है।	550.00	0.00	-
	<b>योग (B)</b>	<b>57550.00</b>	<b>19000.00</b>	<b>-</b>
13	मदरसा पैराटीचर्स :-मदरसा पाठशालाओं में कार्यरत 2619 पैराटीचर्स के मानदेय व अन्य सुविधाओं हेतु वर्ष 2009-10 के लिए राशि 700.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	700.00	233.00	-
14	मदरसा बोर्ड :-मदरसा बोर्ड में कार्यरत स्टाफ के संवेतन एवं कण्टीजेन्सी, यात्रा, चिकित्सा व्यय हेतु वर्ष 2009-10 के लिए राशि 40.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।	40.00	13.00	-
	<b>योग (C)</b>	<b>1140.00</b>	<b>246.00</b>	<b>-</b>
	<b>योग (A+B+C)</b>	<b>60000.00</b>	<b>19887.04</b>	
*	इम्प्रूवमेंट ट्रांजिशन फ्रॉम ऐलिमेंट्री टू सैकण्डरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन राजस्थान (ई.ए.पी) :-आयोजना विभाग द्वारा वर्ष 08-09 हेतु राशि 0.01 लाख का टोकन प्रावधान ही रखा गया है।	0.01	0.00	-
*	शिक्षक का अपना विद्यालय:- यह नवीन योजना राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है वर्ष 08-09 के लिए योजना हेतु 50.00 लाख का प्रावधान है।	50.00	0.00	-
*	बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना:-यह नवीन योजना राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है वर्ष 08-09 के लिए योजना हेतु 50.00 लाख का प्रावधान है।	50.00	0.00	-
	<b>कुल योग</b>	<b>60500.01</b>	<b>19887.04</b>	<b>-</b>

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

वार्षिक योजना 2009-10 हेतु उपलब्ध योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी एवं  
31.08.09 तक के व्यय की प्रगति-के.प्र.यो. मद्

(राशि लाखों में)

क्र.सं	स्कीम का विवरण	बी.ई. 2009-10	व्यय 31.08.09 तक	विशेष विवरण
1	<p><b>विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना:- (अ) आई.ई.डी.सी.</b></p> <p>यह योजना विकलांग बच्चों के लिये शिक्षा व्यवस्था सामान्य बालको के साथ सामान्य विद्यालयों में किये जाने हेतु राज्य मे वर्ष 1977-78 में प्राप्त हुई जिससे विकलांग बालको को जीवन में संघर्ष का समना करने हेतु तैयार किये जा सके। इस योजना में 32 उप्रावि संचालित है। जिसमें 23 III ग्रेड अध्यापक एवं 16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र सरकार से पुनर्भरण की योजना है। जिसमें वेतन भत्तों का भुगतान इस योजनान्तर्गत किया जाता है। साथ ही योजनान्तर्गत विकलांग बालकों को निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विकलांग बालको को पुस्तकों एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराना - 400/-रु. प्रति बालक प्रति वर्ष</li> <li>पौशाक उपलब्ध कराना - 200/- रु. प्रति बालक प्रतिवर्ष</li> <li>वाहन - 50/- रु. प्रति माह प्रतिबालक (10 माह हेतु)</li> <li>अन्य बालकों हेतु पाठक भत्ता - 50/-रु. प्रतिबालक प्रतिमाह (10माह हेतु)</li> <li>विशेष विकलांग बालक हेतु - 75/-रु. प्रतिबालक प्रतिमाह (10 माह हेतु)</li> <li>विकलांग बालकों को उपकरण हेतु - 2000/-रु. प्रतिवर्ष प्रतिबालक (5वर्ष)</li> <li>विकलांग परख जांच हेत - 150/-रु. प्रति बालक</li> <li>संदर्भ कक्षों हेतु उपकरण - 30000/-रु. प्रतिवर्ष (मा.वि./सी.मा.वि. में)</li> <li>संदर्भ कक्षों का निर्माण - 40000/-रु. प्रति कक्ष (एक बार)</li> </ol> <p>योजना का नाडल कार्यालय एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर है। जिसके द्वारा योजना की मोनेटरिंग की जाती है। वर्ष 2009-10 में योजनान्तर्गत 42.52 लाख का प्रावधान है।</p>	42.52	18.82	
	<p><b>(ब)..पी.आई.ई.डी(छबडा प्रोजेक्ट)</b></p> <p>यह योजना केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य मे एक मात्र पंचायत समिति छबडा (जिला बांरा) में 1987 से प्रारम्भ की गयीं। इस योजना में 14 संदर्भ शिक्षक तथा 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत है। जिनके वेतन भत्तों का भुगतान योजनान्तर्गत होता है। इस योजनान्तर्गत विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना के समान ही विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2009-10 में योजनान्तर्गत 32.88 लाख का प्रावधान है।</p>	32.88	21.34	
2	<p><b>डाईट:-</b></p> <p>नवीन राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन के अन्तर्गत शिक्षकों के सेवापूर्व व सेवारत प्रशिक्षणों में गुणात्मक विकास व इसके क्रियान्वयन के लिए 1987-88 से यह योजना प्रारम्भ हुई जो केन्द्र सरकार से शत प्रतिशत पुनर्भरण की योजना है। वर्तमान में यह योजना राज्य के 30 जिलों में संचालित है। वर्ष 2006-07 में दो नवीन जिलो हनुमानगढ़ व सवाईमाधोपुर में भी डाईट की स्थापना के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और तदनुरूप राज्य सरकार द्वारा इन दो जिलो में नवीन डाईट स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। योजना के संचालन के लिए नॉडल कार्यालय एस.आई.ई.आर.टी.उदयपुर है। भारत सरकार ने डाईट्स को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित करने के निर्देश दिये है वर्ष 2009-10 में 1950.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।</p>	1950.00	929.63	
	<b>योग</b>	<b>2025.40</b>	<b>969.79</b>	